न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 502/2017

1. स्टेट आफ राजस्थान तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

— — प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. बलवन्तसिंह पुत्र साधुसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 12 क्यू. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. महेन्द्रसिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 12 क्यू. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. जसवन्तकौर पत्नी कलवन्तसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 12 क्यू. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. राजेन्द्रसिंह पुत्र कलवन्तसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 12 क्यू. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

— — अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. पैराकार राज	प्रार्थी
2. श्री सुभाष मिढ़ा अधिवक्ता	अप्रार्थी संख्या 1, 3 व 4
3. श्री सुखदेवसिंह अधिवक्ता	अप्रार्थी संख्या 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 25.05.2018

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 12 क्यू. पटवार क्षेत्र बख्ताना तहसीलव जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 22 मुरब्बा नम्बर 13 में 3.576 हैक्टर भूमि है बलवन्तसिह पुत्र साधुसिंह 1.784 हैक्टर, महेन्द्रसिंह पुत्र ज्ञानसिंह 0.038 हैक्टर, जसवन्तकौर पत्नी कलवन्तसिंह 1.190 हैक्टर, राजेन्द्र पुत्र कलवन्तसिंह 0.595 हैक्टर जाति कम्बोसिख साकिन देह खातेदार दर्ज है।

श्रीमान् राजस्व कैम्प अधिकारी 13 क्यू दिनांक 27.12.1978 के आदेश अनुसार चक 12 क्यू का नामान्तरकरण संख्या 24 में मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 5 में 1 बिस्वा, 6 में 1 बिस्वा, 15 में 1/4 बिस्वा रास्ता स्वीकृत हुआ इसके बदले में महेन्द्रसिंह पुत्र ज्ञानसिंह को 2–3/4 बिस्वा भूमि दी गई जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड में कर दिया गया परन्तु बलवन्तसिंह व कलवन्तसिंह के हिस्से को कम नहीं किया गया।

वादी लैण्ड होल्डर है एवम् राजस्व रिकार्ड का संधारण करता है इसलिये नेकनियती से वाद पेश कर रहा है वाद पत्र श्रीमान्जी के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा रिकार्ड में त्रुटी का ज्ञान होनें के पश्चात अविलम्ब पेश किया जा रहा है।

लगातार 2

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की सुनवाई कर चक 12 क्यू पटवार मण्डल बख्ताना तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 22 के मुरब्बा नम्बर 13 में कुल 3.576 हैक्टर नहरी भूमि में बलवन्तसिंह पुत्र साधुसिंह 1.769 हैक्टर महेन्द्रसिंह पुत्र ज्ञानसिंह 0.038 हैक्टर जसवन्तकौर पत्नी कलवन्तसिंह 1.180 हैक्टर राजेन्द्रसिंह पुत्र कलवन्तसिंह 0.589 हैक्टर जाति कम्बोजसिख किया जाकर रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण संख्या 2, व 4 स्वंय न्यायालय में उपस्थित होकर तहसीलदार श्रीगंगानगर के द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया अप्रार्थी संख्या 1 की और से जरिये अधिवक्ता जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि सरकार की और से प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया जाता है, तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 3 की और से अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से कथन किया कि राज्य सरकार की और से प्रस्तुत वाद पत्र के सन्दर्भ में अप्रार्थी को कोई एतराज नहीं हैं।

पैरोकार राज व अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन अप्रार्थीगण द्वारा कोई एतराज नहीं जताने के कारण राजस्व अभिलेख में हुई लिपिकिय त्रुटि को सही करनें हेतु प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

–:: आदेश ::–

अतः परोकार राज द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 अर्न्तगत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर चक 12 क्यू पटवार मण्डल बख्ताना तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 22 के मुरब्बा नम्बर 13 में कुल 3.576 हैक्टर नहरी भूमि में बलवन्तसिंह पुत्र साधुसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 12 क्यू. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का 1.769 हैक्टर, महेन्द्रसिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 12 क्यू. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का 0.038 हैक्टर, जसवन्तकौर पत्नी कलवन्तसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 12 क्यू. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का 1.180 हैक्टर, राजेन्द्रसिंह पुत्र कलवन्तसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 12 क्यू. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का 0.589 हैक्टर जाति कम्बोजसिख किया जाकर रिकार्ड को दुरूस्त किया जाता है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 25.05.2018 को लिखवाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 4 जोधेवाला में आयोजित राजस्व लोक अदालत के ... आम में सुनाया गया।

(... ...)
उपखण्ड अधिकारी ...
... ...